राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1427/2025

डॉ. अश्विनी कुमार स्वामी

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री विरेन्द्र लोढा, वरिष्ठ अधिवक्ता मय श्री जय लोढ़ा, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बीसीएमओ, दांता, सीकर से ट्रोमा सेंटर, पलसाना, सीकर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क लिया है कि अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का कर्मचारी है। आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(ii) की अवहेलना में जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में किया गया है। ऐसे स्थानान्तरण जिला स्थापना समिति द्वारा ही बैठक आयोजित करने के पश्चात किया जा सकता है। वर्तमान स्थानान्तरण जिला स्थापना समिति द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे में उक्त आलोच्य आदेश नियम विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि इस अपील में अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 20.02.2025 पारित किया गया था और अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी गयी थी।

3. निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर बीसीएमओ दांता सीकर में किया गया था, जहां पर निजी प्रत्यर्थी ने कार्यग्रहण कर लिया है। ऐसे में निजी प्रत्यर्थी ने स्थानान्तरण आदेश की पालना कर ली है।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. हम पाते है कि निजी प्रत्यर्थी के कार्यग्रहण किये जाने पर अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आदेश के सम्बन्ध में विचार किये जाने में यह अधिकरण असक्षम नहीं हो जाता है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित स्थानान्तरण आदेश के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह प्रकट नहीं होता है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(ii) की पालना की हो। राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(ii) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि अंतरित कर्मचारी का स्थानान्तरण उसी जिले के भीतर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में सम्बन्धित जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। अतः हम पाते हैं कि जहां पर जिले के भीतर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण किया गया हो, वहां पर आदेश जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा जारी किया जाना होता है, परन्तु आलोच्य आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से उपरोक्त प्रावधान के विपरीत है।

6. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की हद तक अपास्त किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष